श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-16

A++ NAAC

विकसित भारत अभियान

क्रमांकः F.(3)/(106)/LBNSU/Acad/2025/1435 दिनांकः 23.06.2026

सम्बद्धता-आदेश

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एक्ट-2020 की धारा 6 (xiii) एवं सम्बद्धता अध्यादेश (42) में, दिये गये प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट एवं सम्बद्धता बोर्ड की दिनांक 18.06.2026 को आयोजित बैठक में लिये निर्णयों के अनुसार कार्यवृत्त की अनुशंसा को कार्यपरिषद् की पुष्टि की प्रत्याशा में **"राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, बापू भवन, मातोश्री रमाबाई आंबेडकर रोड़(ताड़ीवाला रोड़), पुणे-411001"** को **श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110016**, द्वारा बैचलर ऑफ नैचुरोपैथी एवं यौगिक साइंसेज(BNYS), $5^{1/2}$ वर्ष पाठ्यक्रम को अपनी संस्था में संचालित करने हेतु प्रारम्भिक रूप से शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. संस्था द्वारा केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एक्ट-2020 की धारा 6(xiii) के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गये सम्बद्धता अध्यादेश में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि के पश्चात् उक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जाएगा, अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. संस्था द्वारा विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करना होगा कि संस्था द्वारा सम्बद्धता अध्यादेश के प्रावधानों का पालन निरन्तर किया जा रहा है।
3. विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत किये आदेशों का पालन किया जाएगा।
4. संस्था द्वारा यदि विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2020 तथा सम्बद्धता अध्यादेश में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार की जाएगी।
5. बैचलर ऑफ नैचुरोपैथी एवं यौगिक साइंसेज(BNYS) पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग होने वाले समस्त संशोधन एवं आवश्यकताओं को संस्था द्वारा समयानुसार पूर्ण करना होगा तथा आयुष मंत्रालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग /अन्य विधिक संस्थाओं द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति एवं पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित कार्य पूर्ण करने होगें। संस्था को विश्वविद्यालय द्वारा उक्त कार्यक्रम हेतु निर्धारित किया गया पाठ्यक्रम ही चलाना होगा।
6. संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के अनुसार प्रत्यक्ष जाँच समिति की रिपोर्ट एवं सम्बद्धता बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अनुसार संस्था को पाठ्यक्रम में 100 सीटों पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की गई पात्रता एवं प्रक्रिया के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया एवं अध्यापन कार्य को पूर्ण करना होगा।

7. संस्था द्वारा इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु तथा प्रवेश उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्राप्त करना होगा तथा उसका पूर्ण विवरण तैयार कर विश्वविद्यालय में समयबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना होगा।

8. यदि, "राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, बापू भवन, मातोश्री रमाबाई आंबेडकर रोड़(ताड़ीवाला रोड़), पुणे-411001" को प्रदत्त की गई अस्थाई सम्बद्धता निरस्त की जाती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए आपकी संस्था उत्तरदायी होगी।

9. संस्था द्वारा इस विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का बदलाव करने से पूर्व विश्वविद्यालय के सम्बद्धता अध्यादेश में प्रदत्त प्रावधानो के अनुसार अनुमति आवश्यक होगी।

10. आपकी संस्था को सम्बद्धता से संम्बन्धित अध्यादेश का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

कुलसचिव

सचिव,

"राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, आयुष मंत्रालय,
भारत सरकार, बापू भवन, मातोश्री रमाबाई आंबेडकर रोड़ (ताड़ीवाला रोड़), पुणे-411001"

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित के सूचनार्थ।

1. सचिव, "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
2. कुलपति/कुलसचिव/विताधिकारी के निजी सचिव
3. समस्त पीठाध्यक्ष
4. विभागाध्यक्ष, योग विज्ञान
5. निदेशक, आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ
6. मुख्य सतर्कता अधिकारी
7. परीक्षा नियंत्रक
8. उपकुलसचिव(परीक्षा)
9. पुस्तकालयाध्यक्ष
10. अधिशासी अभियन्ता
11. समस्त सहायक कुलसचिव
12. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर
13. सहायक प्रोग्रामर संगणक को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
14. संबंधित पत्रावली
15. कार्यालय आदेश पत्रावली

कुलसचिव

Sh. Sachin 24/06/2020